

राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ 7 (100) (71) परि/नियम/2002/II जयपुर, दिनांक : 25.05.2010

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार को समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण मंजिली गाड़ियों के यात्री भाडे की संरचना का पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है,

अतः अब राज्य सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 67 की उप-धारा 1 के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त उप-धारा के खण्ड (क) से (घ) की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तथा इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचनाओं का अतिक्रमण करते हुए राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणों को एतद् द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी करती है, अर्थात् :-

राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं समस्त प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण तुरन्त प्रभाव से अनन्य रूप से नगरपालिका या नगर सुधार न्यास क्षेत्र के भीतर चलायी जा रही मंजिली गाड़ियों से भिन्न, मंजिली गाड़ियों के संबंध में अधिकतम यात्री भाड़ा नीचे उल्लिखित रूप से नियत करेगी :-

(1) साधारण सेवा	54	पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री
(2) एक्सप्रेस/मेल सेवा	58	पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री
(3) सेमी डीलक्स सेवा	64	पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री
(4) डीलक्स सेवा	91	पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री
(5) वातानुकूलित सेवा	150	पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री

स्पष्टीकरण संख्या - 1

यह दरें इस शर्त के अधीन रहते हुए अधिकतम होगी कि वयस्क यात्रियों से 5 कि.मी. की दूरी तक प्रभार्य न्यूनतम यात्री भाड़ा 3.00 रु. होगा और बालक यात्रियों के मामले में 2 रूपये होगा।

स्पष्टीकरण संख्या - 2

“एक्सप्रेस/मेल सेवा” से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से अनुज्ञात ठहरने के स्थान तथा जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं पंचायत समिति मुख्यालय पर ठहरने के सिवाय कम से कम 40 कि.मी. तक चल चुकने के पूर्व किसी भी स्थान पर नहीं ठहरती। एक्सप्रेस/मेल बसों में गद्दीदार सीटें लगी होंगी।

**स्पष्टीकरण संख्या - 3**

(क) "सेमी डीलक्स" सेवा से कोई ऐसी एक्सप्रेस सेवा अभिप्रेत है जिसमें

1. मुख्य स्तंभ केन्द्र 736.6 मि.मि. से अधिक है।
2. सीट फ्रेम विश्रामक किस्म के अच्छे उच्च पृष्ठ वाले हो किन्तु सिर विश्रामक की व्यवस्था नहीं हो। सीट फ्रेम की उंचाई सीट ग्रेब रेल सहित 1040 मि.मी. हो,
3. सीट की पृष्ठ से पृष्ठ तक की दूरी 762 मि.मी. हो,
4. विकसित किस्म का रबड फोम पृष्ठ विश्रामक के काम में लिया गया हो,
5. सीट विस्तार प्रति यात्री 406.4 मि.मी. X 406.4 मि.मी. हो

(ख) "डीलक्स सेवा" से कोई ऐसी एक्सप्रेस सेवा अभिप्रेत है जिसमें : -

1. मुख्य स्तंभ केन्द्र 1435.10 मि.मि. से कम नहीं है,
2. सीटें या तो स्थिर, पीछे की ओर झुकावदार हो या समायोजन किस्म की हो,
3. सीट की पृष्ठ से पृष्ठ तक की दूरी 914.44 मि.मी. हो,
4. 8 पंखे, 5 ट्यूब लाइट और न्यूनतम दो एयर वेन्टीलेटर लगे हों,
5. सीट फ्रेम की उंचाई 1040 मि.मी. हो,
6. बॉडी सर्वतः अवरोधक (इंसुलेटेड) हो, और
7. सीट विस्तार प्रति यात्री 456 मि.मी. X 456 मि.मी. हो

**स्पष्टीकरण संख्या - 4**

"यात्री भाडा 5 कि.मी. के प्रक्रमों (मंजिल) में संगणित किया जावेगा। इस प्रयोजन के लिए 0.5 कि.मी. से अधिक और 5 कि.मी. तक की दूरी को एक प्रक्रम (मंजिल) गिना जावेगा और 0.5 कि.मी. तक की दूरी को छोड़ दिया जायेगा।"

**स्पष्टीकरण संख्या - 5**

संगणित यात्री भाडे की राशि 1.00 रु. के गुणक में निर्धारित की जावेगी और 49 पैसे या कम की राशि को छोड़ दी जायेगी तथा 49 पैसे से अधिक की कोई भी राशि 1.00 रु. तक पूर्णांकित की जावेगी

उदाहरणार्थ :-

1.01 रु. से 1.49 रु.	=	1.00 रु.
1.50 रु. से 1.99 रु.	=	2.00 रु.

राज्यपाल के आदेश से,

(मनोज कुमार शुर्मा)  
उप शासन सचिव (मुख्यालय)  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 7 (100) (71) परि/नियम/2002/II जयपुर, दिनांक : 25.05.2010

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 25.05.2010 में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, परिवहन मंत्री जी।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव (गृह एवं यातायात)।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव वित्त।
6. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त।
7. महालेखाकार, लेखा परीक्षा-II, राजस्थान सरकार।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
9. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर।
10. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।
11. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
12. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र, राजस्थान।
13. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव (मुख्यालय)

परिवहन विभाग  
राजस्थान, जयपुर